म.प्र. भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण
रेरा भवन, अरेरा हिल,मेन रोड नं.1, भोपाल

//आदेश//

क्रमांक 2729/रेरा/प्रोजेक्ट/2021 भोपाल, दिनांक 30 /06 /2021

विषय – कोविड–19 महामारी के दृष्टिगत परियोजनाओं के पंजीयन की वैद्यता एवं अन्य वैद्यानिक उपचारिकताओं की तिथियों में समयवृद्धि बावत्।

– – –00xxx00– – –

प्राधिकरण के आदेश क्रमांक 2956/प्रोजेक्ट/सचिव/2020 दिनांक 06.05.2020 से ऐसी परियोजनाएँ, जिनकी पूर्णता की तिथि 15.03.2021 अथवा उसके पूर्व थी उनके पंजीयन की वैद्यता में 6 माह की वृद्धि की गयी थी। पुनः इस संबंध में क्रेडाई के द्वारा माह अप्रैल एवं मई 2021 में कोरोना की दूसरी लहर के कारण समयवृद्धि किये जाने हेतु आवेदन दिया गया। महामारी की परिस्थिति एवं आवेदन में दर्शायी गयी तिथियों के आधार पर प्राधिकरण की बैठक दिनांक 14.06.2021 में लिये गये निर्णय अनुसार निम्नानुसार आदेश जारी किया जा रहा है –:

1. ऐसी परियोजनाएं जिनकी पूर्णता तिथि 15.03.2020 अथवा उसके पश्चात् थी, को प्राधिकरण के आदेश क्रमांक 2956/प्रोजेक्ट/सचिव/2020 दिनांक 06.05.2020 से 6 माह की समयवृद्धि दी जा चुकी है।

2. ऐसी परियोजनाएं जिन्होंने पृथक् से कोई समयवृद्धि प्राप्त नहीं की है, मात्र कोविड–19 के दृष्टिगत आदेश दिनांक 06.05.2020 से 6 माह की स्वतः समयवृद्धि एवं कोरोना की दूसरी लहर के कारण इस आदेश के माध्यम से 3 माह की अतिरिक्त समयवृद्धि स्वतः प्रदान की जाती है। आवश्यकता पड़ने पर अधिकतम और 3 माह तक की परियोजना पूर्णता अवधि में वृद्धि किये जाने के लिए सम्प्रवर्तक द्वारा पृथक् से आवेदन प्रस्तुत किया जा सकेगा। ऐसे आवेदनों पर प्राधिकरण गुण–दोष के आधार पर निर्णय ले सकेगा।

3. कोरोना की दूसरी लहर के कारण परियोजनाओ की पूर्णता हेतु अतिरिक्त 3 माह अतिरिक्त समयावधि प्रदान की जा रही है। यह अवधि इस शर्त के अध्याधीन होगी कि पेरा क्रमांक–1 एवं अन्य कोई समयवृद्धि परियोजना विशेष के लिए पृथक् से दी गयी हो,

............2

अधिनियम की धारा 6 के अनुसार समस्त प्रकार की समयवृद्धि कुल–मिलाकर एक वर्ष से अधिक की अवधि नहीं होगी। अतः ऐसे प्रकरण जिनमें आदेश दिनांक 06.05.2020 एवं पंजीयन के विस्तारण हेतु पृथक् से समयवृद्धि दी गयी है तथा सभी प्रकार की विस्तारण को मिलाकर कुल समयवृद्धि एक वर्ष से अधिक हो चुकी है, उन प्रकरणों में यह समयवृद्धि लागू नहीं होगी।

सचिव
म.प्र. भू–संपदा एवं विनियामक प्राधिकरण

पृष्ठ क्रमांक 2730/रेरा/प्रोजेक्ट/2021 भोपाल, दिनांक 30/06/2021

1. निज सचिव, अध्यक्ष, म.प्र. भू–संपदा एवं विनियामक प्राधिकरण
2. सदस्य(तकनीकी), म.प्र. भू–संपदा एवं विनियामक प्राधिकरण
3. मुख्य प्रशानिक अधिकारी, म.प्र. भू–संपदा एवं विनियामक प्राधिकरण
4. तकनीकी सलाहकार, म.प्र. भू–संपदा एवं विनियामक प्राधिकरण
5. आई.टी. शाखा की ओर आदेश प्राधिकरण की बेवसाईट पर अपलोड करने एवं आदेशानुसार परियोजना के पूर्णता अवधि में स्वतः वृद्धि हेतु बेवसाईट में आवश्यक संशोधन कराया जाना सुनिश्चित करें।

सचिव 30.06.21
म.प्र. भू–संपदा एवं विनियामक प्राधिकरण

म.प्र. भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण
रेरा भवन, अरेरा हिल्स, मेन रोड नम्बर 01, भोपाल

पत्र. क्रमांक 2813/रेरा/2021 भोपाल, दिनांक: 02/07/2021

//शुद्धि पत्र//

प्राधिकरण के आदेश क्र 2729/रेरा/प्रोजेक्ट/2021 भोपाल दिनांक 30.06.2021 के प्रथम पैरा की दूसरी लाइन में 15.03.2020 के स्थान पर टंकण त्रुटि से 15.03.2021 टंकित हो गया है।

अतः प्राधिकरण के आदेश क्र 2729/रेरा/प्रोजेक्ट/2021 भोपाल दिनांक 30.06.2021 के प्रथम पैरा की दूसरी लाईन में 15.03.2021 के स्थान पर 15.03.2020 पढ़ा जाये।

Sd/-
सचिव
म.प्र. भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण
भोपाल

पृष्ठांकन क्रमांक: 2813 रेरा/2021 दिनांक: 02/07/2021

प्रतिलिपि–
1. सदस्य (तकनीकी), म.प्र. भू–संपदा विनियामक प्राधिरकरण भोपाल
2. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, म.प्र. भू–संपदा विनियामक प्राधिरकरण भोपाल
3. तकनीकीं सलाहकार, म.प्र. भू–संपदा विनियामक प्राधिरकरण भोपाल
4. आई.टी. शाखा की ओर आदेश प्राधिकरण की वेबसाइट में अपलोड करने हेतु

02.07.21
सचिव
म.प्र. भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण
भोपाल